तारीख	नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नोट व तारीख महकमा जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		............................द्वारा प्रार्थना पत्र/वाद अन्तर्गत धारा..अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने हेतु सम्मन जारी किये जाकर जवाब वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक...............................को पत्रावली पेश हों।	
8/5/18		पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज कार्य के चलते ....है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1-5-18 को पेश हो।	
9/5/18		पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प [illegible] मे पेश हुई। पूर्व मे पत्रावली मे तहसीलदार द्वारा [illegible] गई रिपोर्ट दिनांक 15-2-18 मे [illegible] है। पत्रावली मे [illegible] 15.11.17 को हो चुकी है पत्रावली [illegible] मेरे द्वारा प्रकरण अवलोकन किया गया और आज दिनांक को निर्णय आदेश से निस्तारण [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।	सत्यनारायण पृथ्वीराज
		उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
(राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट छोटीसादडी)
अटल सेवा केन्द्र — बसेडा

पीठासीन अधिकारी– दिनेशकुमार मण्डोवरा आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

1 श्री पृथ्वीराज पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
2 सत्यनारायण पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
3 केलाशचन्द्र पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
4 लीलाबाई पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
5 कोशल्याबाई पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
6 कान्ताबाई पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
7 हुडीबाई पिता राजाराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी
8 शंकरलाल पिता चोखीलाल जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी हडमतियाकुण्डाल तह. छोटीसादडी

... प्रार्थीगण /वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.

.. विपक्षी / प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं
इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित – बाबुलाल पालीवाल अधिवक्ता वादी

प्र.स. 113/16 ई. रे.
दिनांक 9-5-18

निर्णय

सक्षिप्त मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके मोजा हडमतियाकुण्डाल प. ह. बसेडा तह. छोटीसादडी मे पुराने आराजी नम्बर 668/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 668/2 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 656 रकबा 8 बिस्वा स्थित है। तहसील छोटीसादडी का भू प्रबंधक विभाग द्वारा पेमाईशी कार्य किया गया दोराने पेमाईश उक्त आराजियात आराजी नम्बर 668/1 के नवीन आराजी नम्बर 1065 रकबा 1.15 है. आराजी नम्बर 1064/1 रकबा 0.08 हे. अंकित हुए इसी प्रकार आराजी नम्बर 668/2 के नवीन आराजी नम्बर 1039 रकबा 1.27 हे. अंकित हुए। आराजी नम्बर 1039 रकबा 1.27 हे. वादीगण / प्रार्थीगण के राजस्व अभिलेख मे अंकित है एवं आराजी नम्बर 1065 व 1064/1 प्रार्थी/वादी संख्या 8 के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकित है।

... की उसी आराजियात बिलानाम होकर राजस्व अभिलेख मे बिलानाम ही अंकित थी जिसके नवीन आराजी नम्बर 1043 रकबा 0.12 हे. अंकित कर दिये गये यानि की प्रार्थीगण वादीगण का 0.04 हे. रकबा प्रार्थीगण वादीगण की खातेदारी की आराजियात मे से बिना सहमति के खातेदारी की आराजियात के पास ही अंतिम छोर तक दक्षिणी सीमा तक बिलानाम भुमि को रास्ते मे अंकित कर दिया गया प्रार्थीगण का कमी रकबा आराजी नम्बर 1043 मे सम्मिलित कर दिया गया। आराजी नम्बर 656 बिलानाम भुमि आराजी नम्बर 655 व 657 के बीच मे स्थित थी व उत्तर की और सरकारी रास्ता है जो आने जाने हेतु उपयोग मे लिया जाता है आराजी नम्बर 668 के अंतिम छोर तक कोई रास्ता ना होने के बाद भी भु प्रबंधक विभाग द्वारा अंतिम छोर तक बिलानाम भुमि के बजाए रास्ता अंकित कर दिया गया इस बाबत प्रार्थीगण वादीगण की और से यह वाद बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया।

वादीगण प्रार्थीगण द्वारा वाद पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी पर नोटिस की तामील के बाद भी प्रतिवादी या प्रतिवादी की और से कोई भी उपस्थित नही हुआ एवं प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई एवं उसके उपरान्त प्रकरण को वास्ते शहादत हेतु नीयत कर दिया गया।

प्रार्थीगण वादीगण की ओर से वादी संख्या 2 सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया गया एवं वादी ने अपने बयानो मे अपनी खातेदारी की आराजियात का कमी रकबा 0.04 हे. पुराने आराजी नम्बर 656 रकबा 8 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1043 रकबा 0.12 हे. मे सम्मिलित कर दिया जाना जाहिर किया गया एवं साक्ष्य मे वादीगण की और से दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया जो प्रदर्श संख्या 1 से लगाकर 13 तक है एवं न्याय हित मे न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट मंगवाया जाने का आदेश प्रदान किय गया जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं दिनांक 14.2.15 को न्यायालय मे मोका रिपोर्ट पेश की गई एवं उसके बाद वादीगण ने अपनी साक्ष्य बंद कर प्रकरण वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया।

दोराने बहस वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे पेश दस्तावेज को प्रदर्शित कराया जो प्रदर्श 1 नकल जमांबदीं संवत 2068 से 2071 है नकल जमांबदी प्रदर्श 2 व 3 एवं नकल जमाबंदी आराजी नम्बर 1043 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी प्रदर्श 5 नवीन नक्शा प्रदर्श 6 पुराना नक्शा प्रदर्श 7 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 8 नक्शा रियासत ग्वालियर प्रदर्श 9 एवं भु प्रबंधक विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श 10 से 13 पेश किये वादीगण द्वारा साक्ष्य मे व दोराने बहस न्यायालय के समक्ष यह साबित किया कि वादीगण की आराजियात वाके मोजा हडमतियाकुण्डाल की आराजी नम्बर 1039 आराजी नम्बर 1065 आराजी नम्बर 1064 मे से वादीगण का कमी रकबा 0.04 हे. आराजी नम्बर 1043 बिलानाम रास्ता मे सम्मिलित कर दिया जाना पाया गया है वादीगण ने आराजी नम्बर 1043 रकबा 0.12 हे. मे से 0.04 हे. अपनी खातेदारी की आराजियात मे राजस्व अभिलेख मे घोषित कराने एवं उसी अनुसार इन्द्राज दुरस्ती कराने एवं नवीन नक्शे मे भी तरमीम कराने हेतु दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन कराया।

वादीगण प्रार्थीगण द्वारा की गई दोराने बहस को मद्देनजर रखते हुए एवं वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज जो साक्ष्य मे प्रदर्शित कराये गये प्रदर्श 1 से लगाकर 13 को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा हडमतियाकुण्डाल की आराजी नम्बर

रकबा 8 बिस्वा जो भु प्रबंधक विभाग द्वारा दोराने पेमाईश वादीगण की खातेदारी की आराजियात मे से रकबे को कम करते हुए आराजी नम्बर 1043 मे 0.04 हे. बढा दिया गया है जो पुन वादीगण अपने खातेदारी की आराजियात मे घोषित कराने हेतु एवं नवीन नक्शे मे तरमीम कराने हेतु वाद को साबित करने मे सफल हुआ है ऐसी सुरत मे वादीगण का वाद इन सभी तथ्यो के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाके मोजा हल्दितियाकुम्हार प. ह. बसेडा तह. छोटीसादडी के नवीन आराजी नम्बर 1039, 1065, 1064/1 मे अपना कमी रकबा 0.04 हे. आराजी नम्बर 1043 रकबा 0.12 हे. मे से 0.04 हे. कम किया जाकर वादीगण के नाम घोषित किये जाने एवं नवीन नक्शे मे तरमीम किये जाने बाबत वादीगण के हक मे डिक्री प्रदान की जाती है डिकी अलग से मुर्तिब हो एवं पत्रावली फेसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक ९.८.१८ को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी
जिला-प्रतापगढ़ (राज.)